राहत से बढ़ेंगे ज्यादा निवेश के मौके

आयकर छूट की सीमा 50,000 रुपये बढ़ाने का अर्थ है सभी व्यक्तिगत करदाताओं को पांच हजार रुपये की कर बचत। यह बचत किसी भी टैक्स स्लैब के करदाताओं को होगी। धारा 80 सी के तहत निवेश सीमा में 50,000 रुपये की वृद्धि का लाभ करदाताओं को होगा। 10 लाख से अधिक की सालाना आय वालों के इससे करीब 15,000 रुपये बचेंगे।

अनुज माथुर
कंपनी सचिव व सीएफओ
केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल
बैंक लाइफ इंश्योरेंस

सरकार के पहले बजट में आम जनता के लिहाज से कई सकारात्मक घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह बजट न सिर्फ करदाताओं को राहत देता है, बल्कि देश में बचत संस्कृति को बढ़ावा देकर आर्थिक माहौल को भी प्रोत्साहन देता है। कर की दरों में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर छूट की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया गया है। अस्सी वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गई है। अलबत्ता अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा को पांच लाख रुपये की मौजूदा सीमा पर ही बनाए रखा गया है।

बजट में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली वार्षिक कर कटौती की सीमा को भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया है। करदाताओं की यह मांग लंबे समय से लंबित थी। एक लाख रुपये की यह सीमा करीब आठ साल से ज्यों की त्यों बनी हुई थी। स्थिति यह हो गई थी कि यह सीमा मात्र कुछ विकल्पों में ही पूरी हो जाती थी। ऐसा इसलिए भी होता था, क्योंकि 80 सी के तहत मिलने वाली छूट के दायरे में निवेश के कई विकल्प आते हैं। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ, ईपीएफ, होम लोन के मूलधन में जमा की गई राशि, एनएससी, इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं और पांच साल से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक एफडी शामिल हैं।

इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने होम लोन ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त कर लाभ भी प्रदान किए हैं। इसमें धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कर कटौती के लाभ की सीमा को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया है। पीपीएफ की वार्षिक सीमा भी एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है।

कितनी मिलेगी राहत

कर छूट की बुनियादी सीमा 50,000 रुपये बढ़ाने का अर्थ है सभी व्यक्तिगत करदाताओं को पांच हजार रुपये की कर बचत। यह बचत किसी भी टैक्स स्लैब में आने वाले व्यक्तिगत करदाताओं को होगी। आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत निवेश की सीमा में 50,000 रुपये की वृद्धि का लाभ करदाताओं को होगा। 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वाले करदाताओं को इससे करीब 15,000 रुपये का लाभ होगा। 10 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले इस प्रावधान से करीब 10,000 रुपये का टैक्स बचा पाएंगे। जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये तक की है, उन्हें भी अधिकतम 5000 रुपये की टैक्स बचत होना निश्चित है। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट के तहत हुए बदलाव से भी व्यक्तिगत करदाता काफी लाभ उठा पाएंगे। ऊंची टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को इससे करीब 15,000 रुपये सालाना की अतिरिक्त बचत होगी। दस लाख रुपये तक की सालाना आय वाले 10,000 रुपये और सबसे निचले पायदान वाले करदाताओं को 5,000 रुपये सालाना का लाभ होगा।

बचत व अन्य सुविधाएं बढ़ीं

धारा 80 सी के तहत निवेश सीमा में हुई बढ़ोतरी का एक लाभ यह भी होगा कि लोग अब खुद को जोखिम से सुरक्षित करने वाले निवेश व बचत उपकरणों के लिए ज्यादा धनराशि निकाल पाएंगे। इसका फायदा उन्हें अतिरिक्त कर लाभ के रूप में मिलेगा। बजट में हुए इन प्रावधानों से दीर्घकालिक निवेश उपकरणों को प्रोत्साहन मिलेगा। लोग जीवन बीमा की तरफ आकर्षित होंगे, जो उनके निकट भविष्य के लिए कर की बचत करेगा। साथ ही लंबे समय के लिए जीवन को किसी भी तरह के जोखिम से सुरक्षित भी रखेगा। बच्चों की पढ़ाई, शादी और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोगों के पास अधिक बचत उपलब्ध होगी। कर छूट का दायरा बढ़ने के फायदे का इस्तेमाल लंबी अवधि के सुरक्षा उपायों के लिए किया जा सकता है।

जल्दी करें शुरुआत

धारा 10 (10डी) के तहत कर मुक्त बीमा राशि ने बीमा को जोखिम से सुरक्षा के साथ निवेश का महत्वपूर्ण उत्पाद बना दिया है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ बीमा प्रीमियम में भी वृद्धि होती जाती है। लिहाजा लोगों को कम उम्र में ही बीमा उत्पादों में निवेश की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि अपने भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके।